प्रबंध निदेशक ने अपने आदेश, दिनांक 7 अगस्त, 1982 द्वारा, और इस प्रकार विवादित आदेश मान्य हो गए। हमारी उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर ये आदेश कायम नहीं रह सकते।

(32) उपरोक्त वर्णित कारणों से अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय निरस्त किया जाता है।

(33) चूंकि अपीलकर्ता ने अपने इस्तीफे की स्वीकृति की तारीख से लेकर अपनी बहाली की तारीख तक अपने पिछले वेतन के संबंध में अपना पूरा दावा छोड़ने का एक हलफनामा दायर किया है , इसलिए पिछले वेतन के भुगतान के संबंध में राहत को अस्वीकार कर दिया गया है। 14 मई 1982 के आदेश 18 मई 1982 और 7 अगस्त 1982 को रद्द किये जाते हैं।

(34) 14 मई, 1982 से अपीलकर्ता के बहाल होने तक की पूरी अवधि को उसके लिए देय छुट्टी के रूप में माना जाएगा और इस अवधि को वेतन वृद्धि और सेवानिवृत्ति लाभ के उद्देश्य से ड्यूटी पर बिताई गई अवधि के रूप में गिना जाएगा। इक्विटी को ध्यान में रखते हुए हमारे इस आदेश का उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इस अवधि के दौरान पहले ही पदोन्नत हो चुके हैं। अपीलकर्ता अपनी सेवानिवृत्ति पर बहाली और परिणामी सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार होगा और कोई अन्य लाभ नहीं।

खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं।

आरएनआर

न्यायमूर्तिगण जे. *वी. गुप्ता, ए.सी.जे.* और के.पी. *भंडारी,*

हरियाणा राज्य व अन्य,-- *अपीलकर्ता*

बनाम

अमर सिंह क्लेयर, सहायक उत्पाद एवं कराधान
अधिकारी, उप उत्पाद एवं कराधान कार्यालय
आयुक्त, जगाधरी व अन्य, - *प्रतिवादीगण*

1987 *का लैटर्स पेटेंट अपील संख्या* 180

12 फरवरी, 1990

भारत का संविधान, 1950- *अनुच्छेद* 16(4) और 309- *पंजाब उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग (राज्य सेवा वर्ग III-ए) नियम,* 1956- *आरआई। 2(एफ),* 5 और 6- *श्रेणी III-ए सेवा में पदोन्नति के लिए आरक्षण - आरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया - ऐसे आरक्षण का दावा ख़ारिज*

-अनुच्छेद 309 के तहत नियम। —ऐसे नियमों की पूर्वव्यापी दृष्टि से—नियमों की संवैधानिक वैधता।

अभिनिर्धारित किया कि तृतीय श्रेणी सेवा में पदोन्नति के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यहां तक कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के संबंध में भी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, जहां सेवा नियमों में सीधी भर्ती का प्रावधान किया गया था। अत: सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सरकार द्वारा III-ए सेवा वर्ग में पदोन्नति के मामले में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अनुच्छेद 16(4) में जहां भी सरकार आवश्यक समझे आरक्षण के लिए सकारात्मक प्रावधान करने का प्रावधान है। कक्षा HI-A सेवा-सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी के पद पर अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने वाले सरकार के किसी विशेष निर्देश के अभाव में, हम इसे पढ़ने में असमर्थ हैं, यह निर्देश पदोन्नति के मामले में आरक्षण का है।

(पैरा 9 एवं 13)

अभिनिर्धारित किया कि नियम मौजूदा स्थिति को स्पष्ट करने की प्रकृति के हैं। याचिकाकर्ताओं में कोई अधिकार निवेश या सृजित नहीं किया गया है और उन्हें आरक्षण के आधार पर कभी भी सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया था। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियमों को क्रमशः प्रभावी बनाया जा सकता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, विद्वान एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जारी अधिसूचना अमान्य है, को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। (पैरा 19)

1985 *के सीडब्ल्यूपी संख्या* 4137 *दिनांक 29 जनवरी* 1987 *में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को उलट दिया गया।*

लेटर पेटेंट 28 जनवरी के आदेश के खिलाफ लेटर पेटेंट के खंड X के तहत अपील। 1987 *माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.वी. सहगल द्वारा से.डब्ल्यू.पी. संख्या* 4137/1985 में पारित किया गया।

1989 का सिविल विविध संख्या 12618

151 *के साथ पठित आदेश I नियम* 10 के तहत आवेदन में प्रार्थना की गई है कि उपरोक्त उल्लिखित आवेदकों *को न्याय के हित में हस्तक्षेप करने वाले प्रतिवादी क्रमांक* 32 *से* 34 *के रूप में पक्षकार बनने की अनुमति दी जाए।*

दिनांकित 12 फरवरी, 1990

अपीलकर्ताओं की ओर से एस.एस. अहलावत, सीनियर डी.ए.जी. हरियाणा ।

प्रतिवादिगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एल. सिब्बल, आर.के. हांडा के साथ ।जी. एस. बाल, अधिवक्ता।

आवेदक-प्रतिवादिगण की ओर से अधिवक्ता सुभाष आहूजा ।

निर्णय

न्यायमूर्ति के.पी. भंडारी, जे.

(1) यह लेटर्स पेटेंट अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने, *29* जनवरी, 1987 के निर्णय और आदेश के माध्यम से, रिट याचिका को स्वीकृति दी। विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि, निर्देश दिनांक 23 अगस्त, 1966 (अनुलग्नक पी-2) और उसकी कार्यवाही के अनुसार, पंजाब उत्पाद शुल्क और कराधान में अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के लिए आरक्षण का प्रावधान था। विभाग (राज्य सेवा वर्ग II-ए) नियम, 1956 (इसके बाद वर्ग II-ए नियम के रूप में संदर्भित)। इस निष्कर्ष के मद्देनजर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उत्तरदाताओं को उन रिक्तियों की संख्या पर काम करने का निर्देश दिया जो होनी चाहिए। 1 नवंबर, 1966 से 23 मई, 1986 तक पदोन्नति कोटा में आने वाली सेवा में रिक्तियों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित किया गया था, ताकि एक रोस्टर तैयार किया जा सके और याचिकाकर्ता और अन्य पात्र लोगों पर विचार किया जा सके। ऐसे बिंदुओं पर रिक्ति उपलब्ध होने की तारीख से संबंधित आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित बिंदु पर अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य ; और इस संबंध में निर्देशों के अनुरूप उनकी उपयुक्तता का निर्णय करते हुए नियुक्ति के उचित आदेश पारित करें। राज्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय और आदेश के खिलाफ आया है। इस प्रकार, यह पत्र पेटेंट अपील कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है कि क्या सरकार के निर्देशों के अनुसार, पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान है? सहायक उत्पाद एवं कराधान अधिकारी-राज्य सेवा वर्ग III-ए का पद।

(2) इसमें शामिल विवाद□ की सराहना करने के लिए, पंजाब उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग (राज्य सेवा वर्ग III-ए) नियम, 1956 के भौतिक प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक है।

राज्य सेवा वर्ग III-ए नियम का नियम 2(एफ) 'सेवा' शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है: -

"'सेवा' का अर्थ है पंजाब उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग (राज्य सेवा वर्ग III-ए)।"

नियमावली के नियम 3 के प्रावधान में कहा गया है कि सेवा में परिशिष्ट 'ए' में दर्शाए गए पद शामिल होंगे। नियमों के परिशिष्ट 'ए' में सहायक उत्पाद एवं कराधान अधिकारी के पदों का वर्णन है और पदों की संख्या और वेतनमान निर्धारित है। दूसरे शब्दों में, ये नियम सहायक उत्पाद एवं कराधान अधिकारी के पदों पर नियुक्ति और भर्ती पर लागू होते हैं।

(3) राज्य सेवा वर्ग III-ए नियमों के नियम 5 में कहा गया है कि सेवा के सदस्यों की भर्ती निम्नलिखित तरीके से की जाएगी: -

(a) उत्पाद शुल्क निरीक्षकों और कराधान निरीक्षकों के कैडर से पदोन्नति द्वारा (जिन्होंने कम से कम 3 वर्षों की अवधि के लिए इस पद पर कार्य किया हो);

(b) पंजाब के उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग के मंत्रिस्तरीय प्रतिष्ठान के सदस्यों के स्थानांतरण द्वारा; और

(c) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा पाठ्यक्रम वही होगा जो पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और संबद्ध सेवाओं में भर्ती के लिए आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के मामले में होता है।

राज्य सेवा वर्ग III-ए नियमों का नियम 6 इस प्रकार है: - "जब सेवा में कोई रिक्ति होती है, या होने वाली होती है, तो सरकार यह निर्धारित करेगी कि इसे किस तरीके से भरा जाएगा।"

राज्य सेवा वर्ग III-ए नियमों के नियम 8 के प्रावधान इस प्रकार हैं: -

"सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति चयन द्वारा की जाएगी और किसी भी उत्पाद शुल्क निरीक्षक या कराधान निरीक्षक को यह नहीं माना जाएगा कि उसकी पदोन्नति इस कारण से रोक दी गई है कि उसे ऐसी नियुक्ति के लिए अधिकार के रूप में चयनित नहीं किया गया है।"

हालाँकि, नियम 6 के प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और 50 प्रतिशत पद कराधान जैसी विभिन्न श्रेणियों से भरे जाएंगे।

निरीक्षकों और उत्पाद शुल्क निरीक्षकों और उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के मंत्रिस्तरीय प्रतिष्ठान के सदस्यों से स्थानांतरण द्वारा, राज्य सेवा वर्ग III-ए नियमों के नियम 5 के प्रावधान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी-राज्य सेवा के मामले में वर्ग III-ए में भर्ती भी सीधी भर्ती से होगी।

(4) इस स्तर पर, सेवा में पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण करने के लिए समय-समय पर जारी किए गए सरकारी निर्देशों का संदर्भ लेना उपयोगी होगा। राज्य सरकार ने, *पंजाब* सरकार के सचिव , अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग के पत्र संख्या 6486-5WG-II-63/19193, दिनांक 12 सितंबर, 1963 के माध्यम से सभी विभागाध्यक्षों आदि को निर्देश जारी किए और निर्णय लिया कि अखिल भारतीय सेवाओं के मामले को छोड़कर, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले उच्च पदों में से 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए (9 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए) और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 प्रतिशत) निम्नलिखित शर्तों के अधीन: -

(a) जिन व्यक्तियों पर विचार किया जाना है उनके पास न्यूनतम आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए; और

(b) उनके पास कम से कम सेवा का संतोषजनक रिकॉर्ड होना चाहिए।

(5) राज्य सरकार ने, पंजाब सरकार के सचिव, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग के पत्र संख्या 10181-4डब्ल्यूजी-आई-63/795, दिनांक 14 जनवरी, 1964 के माध्यम से निम्नानुसार निर्देश जारी किए: -

तब से सरकार को उक्त निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए कई क्षेत्रों से संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं। मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि:-

(a) उक्त निर्णय 12 सितम्बर, 1963 को पहले से ही रिक्त अथवा उसके बाद रिक्त होने वाले सभी पदोन्नति पदों पर लागू किया जाना चाहिए।

(b) आरक्षण का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि किसी भी संवर्ग में पदोन्नति के लिए कुल पदों का 10 प्रतिशत आरक्षित होना चाहिए

अनुसूचित जाति के कर्मियों द्वारा इस अर्थ में भरा जाएगा कि सभी मौजूदा/भविष्य की रिक्तियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी जब तक कि उच्च सेवाओं में उनका हिस्सा 10 प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता।

(c) आरक्षण का यह प्रावधान कक्षा I, II, III और IV पदों सहित सभी राज्य सेवाओं पर लागू होता है, एकमात्र अपवाद अखिल भारतीय सेवाएं हैं।

(d) यह आरक्षण अल्पकालिक अवकाश रिक्तियों के मामले में भी लागू होना चाहिए, जब तक कि इसमें विभिन्न कार्यालयों में अनावश्यक रूप से काम की अव्यवस्था और मध्य वर्ष के स्थानांतरण आदि के कारण टालने योग्य व्यय और असुविधा शामिल होने की संभावना न हो।

(e) जहां तक अनुसूचित जाति/जनजाति का सवाल है, 12 सितंबर, 1963 के बाद विद्यमान/उत्पन्न होने वाली पहली रिक्ति को उनके लिए आरक्षित माना जाना चाहिए और केवल, यदि रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति के लिए कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है! 10 रिक्तियों के पहले ब्लॉक में उनके लिए आरक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार को शेष अधिकारियों की तुलना में ऐसे एक सौ पद में से केवल एक पद के लिए चुना जा सकता है क्योंकि अन्य पिछड़ा

वर्ग के लिए आरक्षण 1 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। . हालाँकि, यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार प्रत्येक दस रिक्तियों में से एक को भरने के लिए उपलब्ध हैं, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में विशिष्ट आरक्षण होना चाहिए l ई 51वीं वैकेंसी,

(f) यदि एक आरक्षित रिक्ति को दस पदों के किसी भी ब्लॉक के भीतर नहीं भरा जा सकता है तो उसे दस रिक्तियों के अगले ब्लॉक में ले जाया जाना चाहिए। इस प्रकार, यदि किसी भी अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को पहली 10 रिक्तियों में से किसी के विरुद्ध पदोन्नत नहीं किया जाता है, तो निम्नलिखित ब्लॉक में ऐसे उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या दो होगी।

(g) यदि किसी आरक्षित रिक्ति के विरुद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति या पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को पहले ही आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति दी जा चुकी है और फिर उसी ब्लॉक में उम्मीदवार की बारी आई है

पदोन्नति के लिए उक्त जातियों/वर्गों से संबंधित, ऐसे उम्मीदवार को इस आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि 10 प्रतिशत आरक्षण पहले ही समाप्त हो चुका है।

(6) राज्य सरकार ने , पंजाब सरकार के सचिव, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग के पत्र संख्या 6872-डब्ल्यूजी66/24917, दिनांक 23 अगस्त, 1966 के माध्यम से मामलों में पूरी तरह से भारत सरकार की नीति के अनुरूप होने का निर्णय लिया। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को पदोन्नति हेतु आरक्षण । इन निर्देशों के अनुसार द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति हेतु आरक्षण बंद कर दिया गया।

तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के संबंध में, निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए गए थे: -

(a) तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों के मामले में, जिन ग्रेडों या सेवाओं में सीधी भर्ती नहीं होती है, वहां पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 20 प्रतिशत और पिछड़े वर्गों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण होगा।) चयन अथवा (ii) प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर विभागीय अभ्यर्थियों तक सीमित। हालाँकि, जहाँ सीधी भर्ती होती है वहाँ भर्ती के समय आरक्षण का मौजूदा प्रतिशत जारी रहेगा।

(b) आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के अधिकारियों की सूची तैयार की जानी चाहिए, इन वर्गों से संबंधित अधिकारियों को अन्य अधिकारियों के साथ नहीं, बल्कि अलग से नियुक्त किया जाएगा और यदि वे पदोन्नति के लिए उपयुक्त हैं, तो उन्हें इसमें शामिल किया जाना चाहिए। अन्य अधिकारियों की तुलना में उनकी योग्यता की परवाह किए बिना सूची। हालाँकि, आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति न्यूनतम आवश्यक योग्यता और सेवा के संतोषजनक रिकॉर्ड की शर्तों के अधीन जारी रहेगी ।

(c) अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्गों के अधिक्रमण से जुड़े मामलों को एक महीने के भीतर संबंधित मंत्री को जानकारी के लिए रिपोर्ट किया जाएगा।

(7) उपरोक्त निर्देशों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि क्लास I और क्लास II पदों पर पदोन्नति के लिए आरक्षण पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। क्लास HI और क्लास टीवी पोस्ट के संबंध में

साथ ही, उन पदों पर पदोन्नति के लिए कोई आरक्षण नहीं होना था। सीधी भर्ती का प्रावधान था। दूसरे शब्दों में, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आरक्षण उन पदों तक ही सीमित था जिनके लिए सीधी भर्ती का कोई अवसर नहीं था । यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन निर्देशों में, श्रेणी III-ए सेवा के लिए आरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तृतीय और चतुर्थ

श्रेणी के पदों के संबंध में भी आरक्षण तभी लागू होता है जब सीधी भर्ती का कोई प्रावधान न हो। नियमों के नियम 6 के अनुसार, सहायक उत्पाद शुल्क एवं कराधान अधिकारी की सेवा में 50 प्रतिशत भर्ती सीधी नियुक्ति द्वारा और शेष पदोन्नति द्वारा होती है। निर्देशों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, श्रेणी III-ए सेवा के लिए कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। वैसे भी इस सेवा में चूंकि सीधी भर्ती का प्रावधान है, इसलिए आरक्षण संबंधी निर्देश लागू नहीं होंगे. हमारी राय में, 23 अगस्त, 1966 के निर्देश जारी होने के बाद, 12 सितंबर, 1963 और 14 जनवरी, 1964 के पहले के निर्देशों का कोई प्रभाव नहीं रह गया। पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षण का पता लगाने के लिए, किसी को 23 अगस्त, 1966 के प्रमुख निर्देशों को संबोधित करना होगा।

(8) राज्य सरकार ने सचिव, हरियाणा, समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग विभाग के पत्र संख्या 2480-एसडब्ल्यू और बीसी-67/22979, दिनांक 10 अगस्त, 1967 के माध्यम से तीनों सदस्यों के लिए आरक्षण के संबंध में सभी विभागाध्यक्षों आदि को निर्देश जारी किए। पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की। इसे इस प्रकार बताया गया:-

2. *कक्षा 111 और चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियाँ:*

(ए) उन सेवाओं के संबंध में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति के मामले में, जिनमें कोई सीधी भर्ती नहीं है , अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 20 प्रतिशत और पिछड़े वर्गों के लिए 2 प्रतिशत रिक्तियों का आरक्षण होगा। (i) चयन या (ii) प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों पर की गई पदोन्नति विभागीय उम्मीदवारों तक सीमित है।

उपरोक्त निर्देशों के अवलोकन से भी स्पष्ट रूप से पता चलता है कि तृतीय-ए श्रेणी सेवा में पदोन्नति के लिए कोई आरक्षण नहीं है। यहाँ तक कि क्रमशः तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के संबंध में भी आरक्षण

केवल वहीं अनुमति है जहां सीधी भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है । जैसा कि निर्णय के पहले भाग में पहले ही कहा गया है, नियमों के नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, सेवा में भर्ती के लिए, यानी सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी, वर्ग III के पद के लिए एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है। एक सेवा, सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति द्वारा भी। बता दें कि सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षण निर्धारित है. परिणामस्वरूप, जब भी सहायक उत्पाद एवं कराधान अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा कोई भर्ती की जाती है, तो अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के सदस्यों को आरक्षण का उचित हिस्सा दिया जाता है।

(9) उपरोक्त सभी निर्देशों में तृतीय-ए श्रेणी सेवा में पदोन्नति हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यहां तक कि तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी पदों के संबंध में भी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, जहां सेवा नियमों में सीधी भर्ती का प्रावधान किया गया था। अत: सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सरकार द्वारा वर्ग में पदोन्नति के मामले में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। III-ए सेवा. हालाँकि, सीधी भर्ती के मामले में सभी राज्य सेवाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान मौजूद है। सहायक उत्पाद शुल्क एवं कराधान अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भर्ती के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षण है।

(10) हरियाणा राज्य की ओर से श्री अहलावत, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, हरियाणा द्वारा तर्क दिया गया कि सरकारी निर्देश पी-2 दिनांक 23 अगस्त, 1966 के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तृतीय-ए श्रेणी सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पिछड़ा वर्ग। उन्होंने हमारा ध्यान निर्देशों के पैरा 3 की ओर आकर्षित किया है, जिसके अनुसार पदोन्नति के मामले में केवल तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी पदों के सदस्यों के लिए पदोन्नति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जहां सेवा में सीधी भर्ती के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। . उनके द्वारा जोरदार तर्क दिया गया कि सहायक उत्पाद एवं कराधान अधिकारी जब सीधी नियुक्ति के माध्यम से भर्ती होते हैं, तो नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण का आवश्यक प्रावधान किया जाता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इन निर्देशों के पैरा 3 को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए श्रेणी III-ए सेवा में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

अधिकारी. उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य श्रेणी III-ए सेवा में सीधी भर्ती की जाती है। इन कारणों से, 23 अगस्त, 1966 के निर्देशों के आधार पर प्रो मोशन के मामले में अनुसूचित जाति/जनजाति या पिछड़े वर्ग के सदस्यों द्वारा किसी आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि निर्देशों के पैरा 3 के तहत आरक्षण यह उन मामलों तक ही सीमित है जहां तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के लिए सीधी भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने इस तथ्य पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया कि क्लास III-ए सेवा जिसमें सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी का पद शामिल है, क्लास III सेवा से अधिक है। सरकारी निर्देश पी-2 के पैरा 3 में पदोन्नति के मामले में श्रेणी III-ए सेवा के सदस्यों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। दरअसल, 23 अगस्त, 1966 की अधिसूचना में क्लास III-ए सेवा का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय उक्त निर्देशों के दायरे की गलत व्याख्या पर आधारित है।

(11) श्री सिब्बल वरिष्ठ अधिवक्ता ने उपस्थित होकर कहा कि 16 जनवरी, 1964 और 23 अगस्त के निर्देशों के मद्देनजर अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षण है। 1966. श्री सिब्बल द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि पदोन्नति के मामले में द्वितीय श्रेणी या उच्चतर सेवा या पद के लिए आरक्षण बंद कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, उठाया गया तर्क यह है कि द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी सेवा के लिए आरक्षण बंद कर दिया गया है क्रमशः, और अन्य सभी सेवाओं के संबंध में, पदोन्नति के मामले में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। हमने बार में दिए गए तर्कों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। हमारी राय है कि उपरोक्त निर्देश कहीं भी आरक्षण का प्रावधान नहीं करते हैं तृतीय श्रेणी-ए सेवा-सहायक उत्पाद एवं कराधान अधिकारी के पद पर पदोन्नति का मामला। हमने यह भी पाया कि उक्त निर्देशों के पैरा 3 के अनुसार, पदोन्नति के मामले में श्रेणी आईटीटी और चतुर्थ श्रेणी सेवा में आरक्षण किया गया है। केवल वहीं जहां सेवा में सीधी भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु वैधानिक नियमों के नियम 5 में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है। इसलिए, निर्देशों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, हम पाते हैं कि सरकार द्वारा कक्षा III-ए सेवा के सदस्यों के लिए सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी के पद पर पदोन्नति के मामले में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(12) इस संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 की योजना का उल्लेख करना उपयोगी होगा जो मौलिक अधिकारों के अध्याय के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 16(1) राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि इस अनुच्छेद में निहित कोई भी बात राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकती है, जिसका राज्य की राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्य के अधीन सेवाएँ। अनुच्छेद 16(4) के प्रावधान अपवाद स्वरूप हैं। अनुच्छेद 16(4) सरकार को आरक्षण के लिए उपयुक्त प्रावधान करने का अधिकार देता है। यह केवल एक सक्षम प्रावधान है जो सरकार को आरक्षण देने का विवेकाधिकार प्रदान करता है। जब तक किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है, कोई भी आरक्षण के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। *राजेंद्रन* बनाम *भारत संघ (1)* मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि अनुच्छेद 16 का खंड (4), संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (1) का अपवाद होने के कारण, इसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि यह खंड (1) में दी गई गारंटी को पूरी तरह से नकारात्मक या भ्रामक न बना दे। *महाप्रबंधक* बनाम *रंगाचारी (2)* में , सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा यह फैसला सुनाया गया था कि अनुच्छेद 16(4) एक सक्षम प्रावधान है और राज्य को पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों में आरक्षण देने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। ऐसे नागरिक जिनका उसकी राय में संख्यात्मक या गुणात्मक रूप से पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। *पीरियाकरुप्पन* बनाम *तमिलनाडु राज्य* (3) में । सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य में यह माना गया कि अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्ग के सदस्यों को भर्ती के स्तर पर या पदोन्नति के स्तर पर आरक्षण देने के लिए कोई संवैधानिक अधिकार या राज्य पर कोई संबंधित कर्तव्य प्रदान नहीं करता है।

(13) हमने इस मामले पर उत्सुकता से विचार किया है, लेकिन पदोन्नति के मामले में तृतीय-ए सेवा के सदस्यों के लिए आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने वाले सरकार के उपरोक्त निर्देशों में कुछ भी नहीं पा सके हैं। सरकारी निर्देशों की भाषा को खींचकर आरक्षण का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण के लिए सकारात्मक प्रावधान करने का प्रावधान है *जहां* सरकार इसे आवश्यक समझती है। सरकार के किसी विशेष निर्देश के अभाव में आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है

(1) एआईआर 1968 एससी 507।
(2) एआईआर 1962 एससी 36।
(3) (1971) एससीआर 430,

वर्ग III-ए सेवा में अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के सदस्यों-सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी के पद पर, हम पदोन्नति के मामले में इस तरह के आरक्षण के निर्देशों को पढ़ने में असमर्थ हैं। हम रिट याचिका को अनुमति देने और राज्य को पदोन्नति के मामले में तृतीय श्रेणी-ए सेवा के सदस्यों को आरक्षण का लाभ देने का निर्देश देने में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन करने में असमर्थ हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण सरकारी निर्देशों की उस भाषा से उचित नहीं है जिस पर उन्होंने अपने विचार के समर्थन में भरोसा किया था।

(14) हमारी राय में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने नियम 5 के प्रावधान की अनदेखी की है जो स्पष्ट रूप से सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारियों के मामले में सीधी भर्ती का प्रावधान करता है। जैसा कि सेवा नियमों में सीधी भर्ती के लिए प्रावधान किया गया है, इसलिए तदनुसार उपरोक्त सरकारी निर्देशों के अनुसार, पदोन्नति के मामले में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए विचार से सहमत होने में असमर्थ हैं।

(15) श्री।सिब्बल ने हमारा ध्यान दिलाया कि हरियाणा सरकार प्रतिनिधियों के रुख को स्वीकार करने के लिए इच्छुक थी । उन्होंने हमारा ध्यान 19 फरवरी, 1982 के पत्र की ओर आकर्षित किया। मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, ने वित्तीय आयुक्त और तदनुसार, हरियाणा सरकार, उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग को संबोधित किया। यह पत्र विधि विभाग द्वारा दी गई निम्नलिखित सलाह पर आधारित है:-

> "एडी द्वारा उठाया गया प्रश्न यह है कि क्या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण प्रदान करना आवश्यक होगा/; एईटीओ के पदों के लिए अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। 21 सितम्बर 1973 तक या नहीं? एडी का ध्यान एडी की फाइल पर रखे गए 12 सितंबर, 1963 और 23 अगस्त, 1966 के निर्देशों और पहले के निर्देशों की ओर आकर्षित किया गया है। इस विभाग की राय में, यदि एईटीओ की श्रेणी में आरक्षण प्रदान करना आवश्यक होगा। 21 सितंबर, 1973 तक,"

इस राय के आलोक में, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने संबंधित प्रशासनिक सचिव को लिखा कि एईटीओ के पदों पर कोई आपत्ति नहीं है। 21 सितंबर, 1973 तक तृतीय-ए श्रेणी बनी रह सकती है ताकि इससे संबंधित अधिकारी

अनुसूचित जाति को 21 सितंबर, 1973 तक की अवधि के लिए पदोन्नति के कोटे से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(16) विधि विभाग ने इस बात को सही ढंग से नहीं समझा कि 12 दिसंबर, 1963 के निर्देश, जो वर्ग I, वर्ग II और उच्च सेवाओं में आरक्षण प्रदान करते हैं, को सरकार द्वारा 23 अगस्त, 1966 के निर्देश द्वारा संशोधित किया गया है। इसके अलावा, विधि विभाग इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि सहायक उत्पाद शुल्क एवं कराधान अधिकारियों के कैडर में सीधी भर्ती का प्रावधान है , इसलिए 23 अगस्त 1966 के निर्देशों के तहत तृतीय श्रेणी सेवा में भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस मामले में, अंतर-विभागीय संचार कानून विभाग की गलत राय पर आधारित है। गलत अंतर-विभागीय संचार के आधार पर याचिकाकर्ताओं द्वारा किसी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है।

(17) उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री सिब्बल ने *लालप्पा लिंगप्पा और अन्य* बनाम *लक्ष्वनी विष्णु टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड,* (4) का हवाला दिया; *प्राधिकृत अधिकारी, तंजावुर और अन्य* बनाम *नागा-नाथ अय्यर आदि* (5); और *एलेम्बिक केमिकल वर्क्स कंपनी लिमिटेड* बनाम द *वर्कमेन,* (6)। ये प्राधिकारी व्याख्या के सामान्य सिद्धांत निर्धारित करते हैं। इन सामान्य सिद्धांतों के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता । हमारे सामने यह प्रश्न बहुत छोटा है कि क्या सरकारी निर्देशों के अनुसार क्लास III-ए सेवा के सदस्यों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान है। ये प्राधिकारी उक्त प्रश्न के निर्धारण के संबंध में हमारी सहायता

नहीं करते हैं।

(18) विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 17 जनवरी, 1973 की अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जारी पूर्वोक्त वैधानिक नियमों के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अधिकारातीत घोषित कर दिया / इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्रेणी III-ए सेवा के सदस्यों के लिए पदोन्नति के मामले में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, याचिकाकर्ताओं के पास अधिसूचना अनुबंध पी-3 को चुनौती देने का कोई *अधिकार नहीं है।* अन्यथा भी, इस अधिसूचना द्वारा सरकार ने केवल पदों का पुनः वर्गीकरण कर उन्हें राजपत्रित घोषित कर दिया है। इस संबंध में, राज्य की ओर से उप सचिव, हरियाणा सरकार, उत्पाद शुल्क456 के माध्यम से दायर दिनांक 21 नवंबर, 1986 के लिखित बयान के पैरा 1 (ii) का संदर्भ लिया जा सकता है।

(4) एआईआर 1981 एससी 852।
(5) एआईआर 1979 एससी 1487।
(6) एआईआर 1961 एससी 647।

और कराधान विभाग. लिखित बयान का प्रासंगिक पैराग्राफ l(III) इस प्रकार है: -

"सरकारी निर्देश संख्या 333-III-J/1132, दिनांक 15/18 अप्रैल, 1959 (अनुलग्नक आरएल पर प्रतिलिपि) के अनुसार समान पदों/सेवाओं पर भर्ती के लिए एक संयुक्त परीक्षा राज्य लोक सेवा द्वारा आयोजित की जानी आवश्यक थी। आयोग। निम्नलिखित पदों में समूह I शामिल है: -

1. पीसीएस (कार्यकारी शाखा)।
2. उत्पाद शुल्क एवं कराधान अधिकारी।
3. सहायक उत्पाद एवं कराधान अधिकारी।
4. तहसीलदार.
5. खंड विकास अधिकारी।
6. सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पंजाब।
7. नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों के सचिव।
8. सहायक रोजगार अधिकारी.
9. महिला आयोजक, जनसंपर्क विभाग।
10. जिला जनसंपर्क अधिकारी।
11. जनसंपर्क अधिकारी, राजधानी प्रशासन।
12. जनसंपर्क विभाग में सहायक जनसंपर्क अधिकारी

उपरोक्त निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक समूह में पदों को उनकी श्रेष्ठता के क्रम में रखा गया है और सफल उम्मीदवारों को उनके द्वारा दी गई प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए योग्यता सूची में उनके स्थान के क्रम में पेश किया जाएगा। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारियों के पदों को खंड विकास अधिकारियों और सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियों और अन्य समान पदों से बेहतर दिखाया गया है, जो न केवल द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित पद हैं बल्कि संबद्ध सेवा का गठन करते हैं। राज्य सिविल सेवा. इसलिए सहायक उत्पाद एवं कराधान अधिकारी के पद को तृतीय श्रेणी मानना अतार्किक है।"

स्केट सरकार के उपरोक्त तथ्यात्मक रुख से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि श्रेणी III-ए सेवा - सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी - को राजपत्रित पदों के बराबर माना जाता था। 'राजपत्रित' शब्द को पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग I के नियम 2.22 में परिभाषित किया गया है। इस अधिसूचना के अनुसार, सरकार को किसी पद को राजपत्रित घोषित करने का अधिकार है। किसी पद को राजपत्रित घोषित करने के लिए सरकार की घोषणा मात्र ही पर्याप्त है। 21 सितंबर, 1973 की अधिसूचना केवल ऐसी घोषणा देती है। इसलिए, हम यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि यह अधिसूचना वैधानिक नियम के विपरीत कैसे है। हम इस बिंदु पर विद्वान एकल न्यायाधीश के विचार से सहमत नहीं हैं।

(19) विद्वान एकल न्यायाधीश ने हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को भी घोषित कर दिया, - उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के पत्र संख्या जीएसआर/कांस्ट./कला के तहत / 309/एएमडी. (एल)एफआईएफआई, दिनांक 2 मई, 1986 को संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अमान्य माना गया है। इस अधिसूचना को 2 सितंबर, 1973 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर कार्यवाही की कि याचिकाकर्ता, जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, को पदोन्नति के मामले में आरक्षण का अधिकार है और उस अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत पूर्वव्यापी नियम जारी करके। हम विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं; पहला, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के पास तृतीय श्रेणी सेवा में पदोन्नति के मामले में आरक्षण का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और दूसरा, क्योंकि नियम मौजूदा स्थिति के स्पष्टीकरण की प्रकृति में हैं। याचिकाकर्ताओं में कोई अधिकार निवेश या सृजित नहीं किया गया है और उन्हें आरक्षण के आधार पर कभी भी सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया है। बीएस *वडेरा* बनाम *भारत संघ और अन्य (7)* मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियमों को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी बनाया जा सकता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारे लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के इस दृष्टिकोण को बरकरार रखना मुश्किल है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जारी अधिसूचना अमान्य है।

(20) उपरोक्त कारणों से, हम इस पेटेंट अपील को स्वीकार करते हैं, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द करते हैं और खर्चे के संबंध में बिना किसी आदेश के रिट याचिका को खारिज करते हैं। सी.जे.एम. क्रमांक 12618 सन् 1989 स्वीकृत की जाती है।

एससीके

(7) AIR'1 1969 यूएससी-118

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा चांद,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

गुरूग्राम, हरियाणा

State of Haryana and others ***v.*** Amar' Singh Clare, Assistant Excise and Taxation Officer, Office of Deputy Excise . and Taxation Commissioner, Jagadhri and others (K. P. Bhandari, J.)